न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 732–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 40/अ–12/2015–16 ।

.....

श्रीमती गीतादेवी सांकले पत्नी श्री हरगोविन्द सांकले

निवासी सी.–116,बी.डी.ए.कालोनी,कोहेफिजा,भोपाल

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–सुरेशचन्द गुप्ता आत्मज श्री कैलाशचन्द्र गुप्ता

2–संजीव गोयल आत्मज श्री रघुनाथप्रसाद गोयल

निवासीगण राधाकृष्ण बिहार कालोनी

द्वारा कृष्णा कन्सलटेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन 4–5,

नयापुरा नियर वर्फी हाउस, गुफा मंदिर रोड,

लालघाटी भोपाल

3–नारायणसिंह पुत्र श्री रामचरन बढई

निवासी ग्राम चन्दूखेड़ी,तहसील हुजूर,जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0एस0राजपूत, अभिभाषक–आवेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–एक तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उनके स्वत्व, स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 187 रकबा 1.770 हेक्टेयर एवं 188 रकबा 0.25 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 25–1–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर पटवारी को सीमांकन हेतु पृथक से आदेश जारी किया गया था परन्तु ऐसा न कर टोटल मशीन से सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि टोटल मशीन से किया गया सीमांकन इसलिये भी अवैधानिक है क्योंकि आवेदिका ने दिनांक 30–4–12 को अपनी भूमि का सीमांकन पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में करवाया था और उसमें आवेदिका की जो भूमि बताई गई थी उसी के अनुसार तारफेंसिंग कराई गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि खड़ी फसल पर सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो कि नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् उभयपक्ष सहिता पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जकर टी0एस0एम0 मशीन से सीमांकन किया गया है और टी0एस0एम0 मशीन से किया गया सीमांकन में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल–1 तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर